कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 26 / 2020 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

बालाजी ई–मित्रा(के10096742) प्रो.रजत खदरिया पुत्र रामप्रताप जाति खदरिया निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ।

––प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः–13.08.2020

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ से आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2020 के अनुरूप सूचना नहीं मिलने पर यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद हनुमानगढ के पत्रांक 8120 दिनांक 30.7.2020 से प्राप्त जवाब संलग्न पत्र कमाक 1309 दिनांक 18.6.2020 का अवलोकन करने से पाया गया कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है किन्तु अपीलार्थी से प्राप्त लिखित आक्षेप प्रार्थना पत्र के अवलोकन से पाया गया कि वह प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नही है। अपीलार्थी के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.5.2020 का अवलोकन करने से पाया गया कि चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है और जिसका उल्लेख प्रत्यर्थी के जवाब में भी है। इस प्रकार अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप प्रत्यर्थी द्वारा सूचना दिया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official